

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली परिक्षेत्र बरेली।

पत्र संख्या:2015/8309/बीडीएन/बदायूँ/58/डी0डी0
सेवा में,

दिनांक:मार्च 31 2015

जिलाधिकारी,
जनपद बदायूँ।

विषय: गाटा संख्या-210 ग्राम मुडिया तहसील-बिसौली जनपद बदायूँ पर प्रस्तावित एसार ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड नोएडा द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक:-480 (4)/ई0आर0के0
महोदय,

दिनांक: 19.03.2015

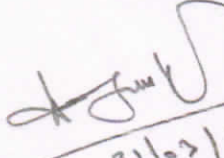
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके द्वारा गाटा संख्या-210 ग्राम मुडिया तहसील-बिसौली जनपद बदायूँ पर प्रस्तावित एसार ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड नोएडा द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, बदायूँ श्री निवास शर्मा द्वारा किया गया तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांक:30.03.2015 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली श्री के0एन0रावत की परीशीलन संस्तुति आख्या दिनांक:30.03.2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थल मुरादाबाद से बिसौली मार्ग पर जिसकी चौड़ाई मानचित्रों के अनुसार 45.72 मीटर पर प्रस्तावित है। प्रश्नगत स्थल मानचित्रों के अनुरूप है। प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाई/लोटेशन विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है। प्रस्तावित स्थल अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल के मानचित्र पेट्रोलियम रूल्स के अनुरूप पाये गये।

अतः गाटा संख्या-210 ग्राम मुडिया तहसील-बिसौली जनपद बदायूँ पर प्रस्तावित एसार ऑयल एण्ड गैस लिमिटेड नोएडा द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:-

- 1- प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम रूल्स-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स तथा रिटेल आउटलेट बिषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुरूप किये जायेंगे।
- 2- प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाइटेशन या लोटेशन विद्युत लाइन नहीं गुजारी जायेगी।
- 3- प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोलियम पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जायेगा।
- 4- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी/आग उत्पन्न करते हो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसके सम्बन्ध में समुचित उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे।
- 5- प्रस्तावित स्थल पर धुम्रपान निषेध बोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक तथा आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नं0 की सूची लगाया/दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।
- 6- प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ.आई.एस.डी. स्टेण्डर्ड, पेट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरूप की जायेगी।

क्रमशः.....02


31/03/15

7- प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप निर्माण कराये जाने के उपरान्त अग्निशमन विभाग से उपरोक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके उपरान्त ही रिटेल आउटलेट के संचालन हेतु अग्निशमन सुरक्षाओं का निर्देश निर्गत किये जायेंगे जिन्हे पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं प्रबन्धक का होगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र

कुल 01 वर्क

(अजय कुमार गुप्ता)

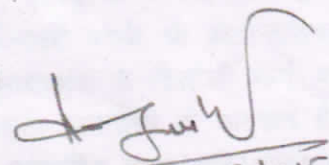
उपनिदेशक, फायर सर्विस

बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- 2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी बदायूँ।
- 3- प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बदायूँ।
- 4- गुलशन सेठी, डिवीजनल मैनेजर, यू०पी० (वेस्ट), ए-5 सेक्टर-3 नोएडा।


21/03/15
(अजय कुमार गुप्ता)

उपनिदेशक, फायर सर्विस

बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र